BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXIV | 11th September 2013 | No. 11

स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का एलान

दो साल में बिजली की उपलब्धता हो जाएगी चार हजार मेगावाट

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा कि पिछले वर्ष उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में कहा था कि वर्ष 2015 तक प्रदेश में बिजली की स्थिति नहीं सुधरने पर वह वोट मांगने नही जाएंगे। वह अपने इस संकल्प पर कायम भी हैं। अपने वायदे के अनुसार वह प्रदेश में बिजली की स्थिति सुधारने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संचरण और वितरण पर विशेष काम हो रहा है। वर्ष 2005 में जहां आठ सौ मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी, वही वर्ष 2012 में यह बढ़कर 1250 मेगावाट हो गयी है। इस वर्ष 2000 मेगावाट बिजली प्रदेश उपलब्ध है।

श्री कुमार ने कहा कि अगले वर्ष राज्य में बिजली की उपलब्धता तीन हजार मेगावाट होगी और वर्ष 2015 में बढ़कर चार हजार मेगावाट तक पहुंच जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा • लोगों के मन से भय निकला, बिहार में कायम हुआ कानून का राज • न्यायपालिका ने भी निभाई भूमिका, 80 हमार अपराधियों को सजा • भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति • इससे मुक्त समाज बनाएंगे • 76 फीसदी लोग खेती पर निर्भर, अत: कृषि रोड पर हो रहा अमल • धान, गेहूँ और मक्का उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से आगे निकला सूबा • हर पंचायत में खुलेगा एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय • पांच साल में एक करोड़ लोगों के कौशल उन्नयन का लक्ष्य • 250 की आबादी वाले हर बसावट को शहर से जोड़ा जाएगा • सड़कों के रख-रखाव के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे • चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहे कई काम, 10 नए कोर्स जुड़ेंगे • महिला सशक्तीकरण के प्रयासों के मिल रहे सुखद परिणाम • 10 लाख लक्ष्य के विरुद्ध एक लाख महिला एसएचजी का गठन • हर महादलित को मिलेगी वास जमीन, होगा अपना घर और पता • केन्द्र का असहयोग, अब सरकार खुद चला रही साक्षरता अभियान • सभी कब्रिस्तानों की होगी घेराबंदी, 8000 में बच रहे 3600

(साभार : हिन्दुस्तान, 17.8.2013)

67वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह

15 अगस्त 2013 को पूर्वाहन 11.00 बजे चैम्बर प्रांगण में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल द्वारा राष्ट्रध्वज फहराकर 67 वाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे।

मनोनयन

श्री पी० के० अग्रवाल को बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में विशेषज्ञ मनोनीत किये जाने पर चैम्बर की हार्दिक शुभकामनाएँ।

राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी की 45 वीं बैठक को मुख्यमंत्री ने किया संबोधित

कहा – निजी निवेशकों की अपेक्षाएं पूरी करें बैंक

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आर्थिक विकास में बैंको से सहयोग मांगा है। 21.08.2013 को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) की 45 वीं बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक सीडी रेसियो सुधारें और कृषि और प्राइमरी सेक्टर में निवेश करें ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो बैंकों की जिम्मेदारी और बढ़ेगी। यहां के लोग अच्छे जमाकर्ता हैं। अपनी बचत बैंकों में ही डालते हैं। बैंकों को जमा लेने के लिए कोई अभियान नहीं चलाना पड़ता। बिहार में लोगों को अधिक कर्ज देना बैंकों का न सिर्फ सामाजिक बल्कि वाणिज्यिक दायित्व भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य आम आदमी को लाभान्वित कर उसकी आमदनी को बढ़ाना है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की आमदनी बढ़ रही है। उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है तो यही न्याय के साथ विकास है। राज्य सरकार ने कृषि के विकास के लिए रोडमैप तैयार किया है। हमारा लक्ष्य इंन्द्रधनुषी क्रांति का है। बैंक इस पर ध्यान दें तो सीडी रेशियो की स्थिति सुधर जाएगी। राज्य में नई औद्योगिक विकास नीति बनी है। इसके साथ भी बैंकों को तालमेल रखना चाहिये। औद्योगिक क्षेत्र और खासकर फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को पर्याप्त कर्ज दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीडी रेसियो के मामले में जो बैंक कसौटी पर खरा उतरेंगे, उनकी ही शाखाओं में सरकारी योजनाओं की राशि रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैंक अधिकारियों को एसएलबीसी की पिछली बैठकों में हुए निर्णयों पर तेजी से अमल करने की सलाह दी। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 22.8.2013)**

चैम्बर ने किया किया निजी औद्योगिक क्षेत्र के गठन के निर्णय का स्वागत

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने सरकारी औद्योगिक प्रांगणों के साथ-साथ निजी औद्योगिक क्षेत्रों के गठन किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने राज्य सरकार के इस निर्णय हेतु विशेष रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चैम्बर की ओर से बराबर सरकार से यह मांग की जा रही थी कि सरकारी औद्योगिक प्रांगण में उद्यमियों को आवश्यकतानुसार भूमि नहीं उपलब्ध हो रही है। अत: निजी औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाय। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय से उद्यमियों को सहजता से आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध हो जायेगी। साथ ही बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी, निबंधन शुल्क एवं भूमि के व्यवहार के रूपान्तरण हेतु परिवर्तन शुल्क में निजी औद्योगिक क्षेत्र में गठित स्पेशल पर्पस ह्वेकिल (एसपीवी) को भी छूट प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के पास यथेष्ट भूमि नहीं होने के कारण उद्यमियों को असुविधा हो रही थी। यदि उद्यमी व्यक्तिगत रूप से अपनी जमीन खरीदना भी चाहते थे तो जमीन छोटे-छोटे खण्ड में बंटे होने के कारण उन्हें कई जमीन मालिकों से समझौता करना पड़ता था। अब इस प्रकार के निर्णय से उद्यमी अपनी आवश्यकतानुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र से जमीन प्राप्त कर सकते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि उद्योग की स्थापना के लिए जमीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अभाव में कई भावी निवेशक राज्य में निवेश नहीं कर सके, अब विभिन्न प्रकार के उद्योगों को उनकी आवश्यकतानुसार निजी औद्योगिक क्षेत्र में जमीन उपलब्ध होगी। **(साभार : आज 29.8.2013)**

वाणिज्य-कर संबंधी समस्याओं पर चैम्बर में बैठक

वाणिज्य-कर से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श हेतु चैम्बर के प्रांगण में दिनांक 22 अगस्त, 2013 को एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें काफी सदस्यों एवं संगठनों ने भाग लिया।

इस बैठक में श्री डी० पी० लोहिया, वैट उप समिति के चेयरमैन, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, श्री डी० बी० गुप्ता, अधिवक्ता, श्री के० पी० मोर, अधिवक्ता, श्री उत्पल सेन के अतिरिक्त बिहार ट्रांस्पोर्ट एसोसियेशन के श्री एम० एस० भारद्वाज, श्री डी० के० राणा, श्री के० एस० त्रिपाठी, श्री जे० पी० खंडेलवाल, श्री सज्जन मुरारका, श्री बासु सराफ सहित कई ट्रांस्पोर्टरों ने इस बैठक में अपने विचारों को रखा। विस्तृत चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि व्यवसायियों की समस्याओं तथा ट्रांस्पोर्टरों की समस्याओं हेतु वाणिज्य-कर आयुक्त से समय लेकर इनके प्रतिनिधियों को उनसे मिलाया जाय ताकि वाणिज्य-कर आयुक्त समस्याओं से अवगत हो सकें।

उपरोक्त निर्णयानुसार चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल के नेतृत्व में व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य-कर आयुक्त से दिनांक 26.08.2013 को मिला तथा ट्रांस्पोर्टरों का प्रतिनिधिमंडल दिनांक 27.08.2013 को मिलकर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। वाणिज्य-कर आयुक्त ने कुछ समस्याओं का समाधान अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों को निर्देश देकर कराया।

वाणिज्यकर विभाग के प्रधान सचिव ने दिया निर्देश

कैशमेमो लेना अनिवार्य

क्या है प्लान : विभाग के वरीय अधिकारी ने बताया कि अगले 48 घंटे के अंदर विभाग का धावा दल किसी एक बड़े बाजार में जाएगा। धावा दल के अधिकारी पूरे 24 घंटे उस बाजार में तैनात रहेंगे । जो भी सामान बाजार में जाएगा या निकलेगा, उसकी जांच होगी। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि अगर सामान 50 हजार से अधिक है और लोकल खरीद -बिक्री हो रही है तो उसका रोड परमिट डी-VIII है या नहीं। या फिर राज्य के बाहर जा रहा है तो उसमें रोड परमिट डी-IX है या नहीं।

क्या करे सामान्य ग्राहक : इस बात का ध्यान देना होगा कि अगर 50 हजार से अधिक का सामान है तो कैशमेमो लेना अनिवार्य है। विभाग के अनुसार यदि यदि कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक का सामान खरीदता है तो उसपर रोड परमिट डी -VIII होना अनिवार्य है। अगर उपभोक्ता कैशमेमो दिखाकर यह स्पष्ट कर दे कि यह सामान घर के लिए जा रहा है तो वह बच सकता है। **(साभार: हिन्दुस्तान 18.8.2013)**

BCCI TO OPPOSE NEW TAX PROPOSAL

President of Bihar Chamber of Commerce and Industries P. K. Agrawal has urged the Urban Development Minister to scuttle the proposed move to issue trade licences to traders in Patna Municipal Area. He said business establishments were required to be registered under the Bihar shops and Establishment Act after paying the prescribed fee up to Rs. 2000. Under the new proposal traders would also have to get registered under professional tax, Bihar tax on Professions, Traders, Callings and Employment Act, 2011. He said this would entail payment of additional tax annually ranging between Rs. 1000 and Rs. 2500. In addition, traders were also required to pay holding tax, sales tax, entry tax and many other taxes, he complained. ***(Source : H.T. 28.8.2013)***

सूबे में ओवरलोड ट्रकों का परिचालन बंद

सूबे में 20.08.2013 की मध्य रात्रि के बाद ओवरलोड ट्रकों का परिचालन बंद कर दिया गया है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने सभी ट्रकों को उनकी क्षमतानुसार (अंडर लोड) चलाने का फैसला लिया है। मंगलवार की मध्य रात्रि के बाद से यह फैसले पर अमल शुरू हो गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद सिंह ने सूबे के सभी ट्रक मालिकों से आग्रह किया है कि अपने वाहनों पर क्षमतानुसार माल लादकर परिचालन करें। साथ ही एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ऐसा न करने वाले ट्रकों को परिवहन विभाग के सुपुर्द कर नियमानुसार कार्रवाई करायी जायेगी। इस कार्रवाई के खुद के ट्रक के मालिक जिम्मेदार होंगे। श्री सिंह ने बताया कि ट्रकों को ओवरलोड कर चलाने में परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। दरअसल वे अपनी अवैध आमदनी के लिए ट्रकों को ओवरलोड करवाकर चलवाते हैं। इसके पीछे ट्रक मालिकों की सोच होती है कि इससे उन्हें लाभ होता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा 21.8.2013)

भू अधिग्रहण नीति में बदलाव

बिहार सरकार ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को बनाया आसान

बिहार सरकार ने अपनी भूमि अधिग्रहण नीति में बदलाव किया है ताकि राज्य में उद्योगों के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक ऐसा इस नीति को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए किया है। ताजा संशोधन के बाद बिहार में उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण करना पहले से आसान हो जाएगा।

उद्योगों को मिलेगी भूमि : • अब जिलाधिकारी ऐसी सरकारी जमीन का अधिग्रहण कर सकेंगे, जिसका इस्तेमाल उद्योगों के लिए किया जा सकता है • पहले उद्योगों के लिए भूमि देने के पूर्व कई तरह की कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था • ताजा संशोधन से उद्योगों को आसानी से मिलेगी जमीन **(साभार: बिजनेस स्टैंडर्ड 21.8.2013)**

पैन कार्ड में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

पैन कार्ड का महत्व अब पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि इसके बावजूद आम लोग जानकारी नहीं होने की वजह से यह मानकर चलते हैं कि पैन कार्ड बनवाने के बाद टैक्स रिटर्न भरना जरूरी हो जाएगा। लेकिन हकीहत में ऐसा नहीं है। टैक्स रिटर्न उसी स्थिति में भरना जरूरी होता है जब आप उसके दायरे में है। पैन कार्ड का उपयोग केवल टैक्स भरने में नहीं बल्कि बैंक में खाता खोलने और किसी संपत्ति की खरीद-बिक्री करने में काम आता है। यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है लेकिन उसमें नाम या अन्य कोई तथ्य गलत है तो उसे सुधारने के लिए आवदेन संबंधित वेबसाइट www. tin-nsdl.com पर भी लॉगइन कर सकते हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान , 18.8.2013)

चौबीसो घंटे पहुंचानी है बिजली: मुख्य सचिव

निर्देश जो दिए गए : • ट्रांसफार्मरों के जलने या खराब होने की घटना कम हो, महीने में दी सौ से अधिक ट्रांसफार्मर नहीं जले या खराब हो • ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस व लाइटिंग अरेस्टर लगाने के लिए कार्य योजना बने • ट्रांसफार्मर बदलने व मेंटेनेंस के लिए भी एजेंसी बहाल हो • दस हजार एबी स्विच जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे • बिजली सप्लाई सिस्टम की खामियों को प्राथमिकता पर दूर किया जाए • पावर सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए दिसंबर तक दस एमवीए के सौ पावर ट्रांसफार्मरों की खरीद कर ली जाए। **(विस्तृत समाचार: हिन्दुस्तान, 14.8.2013)**

आयकर अधिनियम में आये बदलाव की सुर्खियाँ

1. मौलिक छूट सीमा एवं स्लैब दरों में कोई परिवर्तन नहीं।

2. व्यक्तियों, HUF, AOP, BOI, सहकारी समीति, फर्म, आदि के मामले में 10 प्रतिशत अधिभार लगेगा, यदि कुल आय।करोड़ रु० से अधिक हो।

3. 10 करोड़ रु से अधिक की कुल आय वाली कंपनियों के लिये अधिभार की दर बढ़ाई गई है, घरेलू कंपनियों के लिये 10 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिये 5 प्रतिशत 11 करोड़ रु से अधिक परन्तु 10 करोड़ रु तक की आय के लिये अधिभार वर्तमान दरों पर लागू रहेगा अर्थात् घरेलू कंपनियों के लिये 5 प्रतिशत तथा विदेशी कंपनियों के लिए 2 प्रतिशत।

4. 'कृषि भूमि' की परिभाषा के लिये नगर सीमा से दूरी की विनिर्दिष्ट किया गया है। (धारा 2 (1A) & (14) और धनकर अधिनियम की धारा 2 (ea) Expl. 1 clause (b))

5. 1-04-2013 को या इसके बाद जारी बीमा पॉलिसी, यदि बीमाकृत व्यक्ति किसी विकलांगता से (धारा 80U)अथवा किसी रोग से (धारा 80DDB) पीड़ित हो तथा किसी वर्ष के लिये प्रीमियम बीमा राशि के 15 प्रतिशत से अधिक न हो, के तहत प्राप्त बीमा राशि करमुक्त होगी। [(धारा 10(10D)]

6. किसी securitization trust की आय करमुक्त होगी। [(धारा 10(23DA)]

7. किसी depository द्वारा स्थापित Investor Protection Fund की आय करमुक्त होगी। [(धारा 10(23ED)]

8. एक असूचीकृत कंपनी द्वारा अपने शेयरों की वापसी-खरीद पर किसी शेयर धारक को उदय होने वाली आय करमुक्त होगी। [(धारा 10(34A)]

9. किसी securitization trust से उसके निवेशकों को प्राप्त होने वाली आय करमुक्त होगी। [(धारा 10(35A)]

10. National Financial Holdings Company Ltd. की आय कर निर्धारण वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिये करमुक्त होगी। [(धारा 10(49)]

11. उत्पादक कंपनियों को 1-04-2013 से 31-03-2015 के बीच 100 करोड़ रु० से अधिक मूल्य के नये प्लांट या मशीनरी लगाने पर 15 प्रतिशत Investment allowance मिलेगा। [(धारा 32AC)]

12. किसी करदाता द्वारा वस्तुओं के सौदों के व्यापार के सम्बन्ध में भुगतान किया गया Commodities transaction tax कटौती योग्य होगा। [(धारा 10(1)(xvi)]

13. भूमि-भवन आदि में व्यापार के मामले में आय की गणना के विशेष प्रावधान किये गये हैं। [(धारा 43CA)]

14. अपर्याप्त प्रतिफल के लिये प्राप्त कोई अचल संपत्ति, यदि प्रतिफल में कमी उसके स्टाम्प ड्यूंटी मूल्य से 50,000 रु० से अधिक हो, प्राप्तकर्त्ता के हाथ में कर योग्य होगी। [(धारा 56(2)(vii)]

15. 1-04-2013 को या उसके बाद जारी पॉलिसी पर जीवन बीमा प्रीमियम, यदि बीमित व्यक्ति किसी विकलांगता से (धारा 80U) या किसी रोग से (धारा 80DDB) पीड़ित हो, बीमा राशि के 15 प्रतिशत तक कटौती योग्य होगा। (धारा 80U)

16. राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना के तहत कटौती equity-oriented mutual funds की यूनिटों में निवेश के लिये भी मिलेगी तथा यह तीन निर्धारण वर्षों में ली जा सकेगी।(धारा 80CCG)

17. अधिसूचित स्वास्थ्य योजना (CGHS की तरह) में अंशदान कटौती योग्य होगा। (धारा 80D)

18. एक आवासीय मकान के लिये किसी बैंक/आवासीय वित्त कंपनी से लिये गये ऋण पर ब्याज विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा करने पर कर निर्धारण वर्ष 2014-15 और /या कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिये (कुल मिलाकर)अधिकतम 1,00,000 रु तक कटौतीयोग्य होगा । (धारा 80EE)

19. राष्ट्रीय बाल कोष को दिया गया दान 100 प्रतिशत कटौती के लिये (50 प्रतिशत की जगह) पात्र होगा। (धारा 80G)

20. राजनैतिक पार्टियो को नकद दानों के लिये कोई कटौती नहीं मिलेगी। (धारा 80GGB & GGC)

21. ऊर्जा क्षेत्र के उद्यमों के लिये कटौती 31.3.2014 तक बढ़ाई गई। (धारा 80- IA)

22. नये कामगारों को रोजगार देने के लिये कटौती केवल फैक्ट्री के मजदूरों के सम्बन्ध में ही सीमित होगी। (धारा80JJAA)

23. 5 लाख रु तक की कुल आय वाले निवासी व्यक्ति करदाताओं को कर राशि या 2,000 रु, जो भी कम हो, के बराबर कर राहत मिलेगी। (धारा 87A)

24. DTAA या संधि के तहत राहत प्राप्त करने के लिये करदाता को निर्धारित दस्तावेज/जानकारी प्रदान करनी होगी। (धारा 90 और 90A)

25. सामान्य परिवर्तन-रोधी नियम (GAAR)से सम्बन्धित प्रावधानों को स्थगित कर दिया गया है, अब ये कुछ परिवर्तनो के साथ कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से लागू होंगे। (धारा 95 से 102 और 144BA)

26. अ) एक भारतीय कंपनी के रूपये में मुद्रित बाँडों पर या सरकारी प्रतिभूतियों पर 1-06-2013 से 31-05-2015 के दौरान एक Fill/Qualifed Investor को देय ब्याज 5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होगा। (ब) अनिवासियों के मामले में, रॉयल्टी /तकनीकी सेवाओं के लिये फीस, अनुबंध की तिथि ध्यान में रखे बिना 25 प्रतिशत की एक समान दर पर करयोग्य होंगे। (धारा 115A)

27. एक भारतीय कंपनी को उसकी विदेशी सब्सिडरी कंपनी द्वारा भुगतान किये डिविडेन्ट के लिये 15 प्रतिशत की विशेष दर को कर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिये भी लागू रखा गया है। (धारा 115BBD) तथा, भारतीय कंपनी के मसले में ऐसे डिविडेन्ट को डिविडेन्ट वितरण कर के उद्देश्य के लिये शामिल नहीं किया जायेगा। (धारा 115A)

28. एक असूचीकृत भारतीय कंपनी द्वारा अपने शेयरों की वापसी-खरीद के जरिये वितरित की गई आय पर 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त आयकर लगेगा। (धारा 115QA और 115QC)

29. 1-06-2013 से एक अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अतिरिक्त) के हस्तांतरण के लिये एक निवासी हस्तांतरणकर्त्ता को प्रतिफल के भुगतान पर एक प्रतिशत स्त्रोत पर कर की कटौती की जायेगी, यदि प्रतिफल 50 लाख रु या अधिक हो। (धारा194IA)

30. एक भारतीय कंपनी के बाँडों या सरकारी प्रतिभूतियों पर 1-06-2013 से 31-05-2013 के दौरान एक Fill/Qualified Foreign Investor को देय ब्याज पर 5 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर काटा जायेगा। (धारा 194-LD)

31. धनकर की रिटर्न की ई-फाईलिंग प्रक्रिया लागू करना प्रस्तावित है। (धनकर की धारा 14A और 14B)

32. आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2013 नियम 10AB को जोड़ा जिसमें arm's length price निश्चित करने के लिये अन्य तरीका निर्धारित किया गया है।

33. **आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2012** ने कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिये नए रिटने फार्म ITR-5और ITR-6 जारी किये।

34. **आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2012** ने कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिये नया रिटर्न फार्म ITR-7 जारी किया।

35. **आयकर (नवां संशोधन) नियम, 2012** ने कंपनी के अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा न्यूनतम वैकल्पिक कर के सम्बन्ध में नियम 40BAऔर फार्म 29C पुन: स्थापित किये।

36. **आयकर (दसवाँ संशोधन) नियम, 2012** ने नये 10F से 10Tऔर 44GAजोड़े, जिनके द्वारा arm's length price के सम्बन्ध में advance pricing agreement scheme जारी की गई।

37. **आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2012** ने धारा 201(1) प्रथम प्रोविजो और धारा 206 C(6A) प्रथम प्रोविजो के तहत CA के प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित नियम 31ACB और 37J तथा फार्म 26Aऔर 27BA जोड़े।

38. **आयकर (बारहवां संशोधन) नियम, 2012** ने धारा 90 और 90Aके सम्बन्ध में नियम 21AB(अनिवासी द्वारा प्राप्त किये जाने वाले प्रमाण-पत्र में शामिल विवरण) और फार्म 10FA और 10FB (निवासीय स्थिति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये) जोड़े।

39. **आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2012** ने नियम 17C को संशोधित किया जिसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि धर्मार्थ और धार्मिक प्रतिष्ठानों द्वारा निवेश के पात्र मदों में किसी infrastructure finance कंपनी द्वारा जारी Debt instruments शामिल होंगे।

40. **आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2012** ने नियम 112F को जोड़ा जिसमें ऐसे मामले विनिर्दिष्ट किये गये है, जिनमें धारा 132 के तहत खोज या धारा 132Aके तहत मांग के परिणामस्वरूप पूर्व छ: निर्धारण वर्षो के लिये निर्धारण/पुनर्निर्धारण के लिये नोटिस जारी नहीं किये जायेंगे।

41. **आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2012** ने असूचीकृत equity shares के मूल्यांकन से सम्बन्धित नियम 11Uऔर 11UA को परिवर्तित किया।

42. **आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2013** ने निर्वाचन न्यासों के सम्बन्ध में नियम 17CA और फार्म 10BC को जोड़ा।

43. **आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2013** ने टीडीएस/टीसीएस से सम्बन्धित नियम 31A, 31AA, 31ACB और 37J तथा फार्म 15G, 15H, 16, 16A, 24Q, 26B, 26Q, 27C, 27D और 27Q में परिवर्तन किये। **(साभार: टै.प. अगस्त 2013)**

अधिसूचनाएं

1. बैंक द्वारा फार्म 15G या 15H लेने पर ग्राहक को इसकी रसीद दी जायेगी

रिजर्व बैंक सर्कुलर नं. DBOD NO LEG. BC. 100/09.07.005/2012-13 Dt. 31.05.2013: इन्कम टैक्स नियमों के तहत यदि जमाकर्ता बैंक को एफडी के ब्याज के संबंध में फार्म 15Gया 15H दे देता है तो बैंक को एफडी के ब्याज पर TDS नहीं काटना होता।

2. प्रोपर्टी की रजिस्ट्री पर लागू 1% TDS से संबंधित चालान व सर्टिफिकेट विभाग द्वारा नोटिफाई किये गये। (नोटिफिकेशन नं. 39/2013 दिनांक 31.5.2013)

बजट 2013 में इन्कम टैक्स कानून में एक नई धारा 194-IA बनाई गई थी। इस धारा में यह नियम बनाया गया कि यदि खरीददार द्वारा कोई जमीन या बिल्डिंग खरीदी जाती है तथा उसकी कीमत 50 लाख रु या अधिक होती है तो उस पर खरीददार द्वारा विक्रेता को पेमेंट करते समय 1% TDS काटा जायेगा। यह नियम कृषि भूमि पर लागू नहीं होगा।

अब नोटिफिकेशन नं. 39/2013 के द्वारा धारा 194-IA के तहत काटे जाने वाले TDS से संबंधित नियम नोटिफाई किये हैं इस हेतु इन्कम टैक्स रुल्स 30, 31, 31A में संशोधन किया गया है तथा इस हेतु दो नये फार्म 16B व 26QA बनाये गये हैं तथा इस नोटिफिकेशन के द्वारा फार्म 24Q के प्रारुप में भी परिवर्तन किया गया है।

3. <u>TDS रिटर्न के फार्म 24Q में परिवर्तन</u> (नोटिफिकेशन नं. 39/2013 दिनांक 31.5.2013)

वेतन मे से काटे गये TDS की तिमाही रिटर्न फॉर्म 24Q में जमा करवानी होती है। इस फार्म के प्रारुप में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

4. 1 जुलाई 2013 से कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लागू हुआ : (नोटिफिकेशन नं. 45/2013 दिनांक 19-06-2013)

वित्तमंत्री द्वारा 28फरवरी, 2013 को पेश किये गये बजट में कॉमोडिटी डैरीवेटिव्स पर कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (CTT)लगाया जाना प्रस्तावित (Propose) किया गया था। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन नं. 45/2013 दिनांक 19-06-2013 के द्वारा इसे जुलाई 2013 से लागू कर दिया है। जिस प्रकार शेयर्स एवं सिक्योरिटीज पर STT (Security Transaction Tax) लगता है उसी सिद्धांत के आधार पर कॉमोडिटीज की ऑनलाईन ट्रेडिंग पर 1-07-2013 से यह टैक्स (CTT) लगाया जाता है। सरकार द्वारा इस नये टैक्स के संबंध में अलग से रुल्स बनाकर भी नोटिफाई किये गये है।

5. सीबीडीटी के नये निर्देश : अशुद्धियों के सुधार तथा रिटर्न की इन्टीमेशन के सम्बध में [(धारा 154 व धारा 143 (1)] निर्देश नं. 3/2013 व 4/2013 व 4/2013 दिनांकित 5-07-2013

माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सीबीडीटी को रिट याचिका सं. 2659/2012 Court on its own motion V/S Union of India and others -Date of order 14-03-2013 के द्वारा 154 व 143 (1) की कार्यवाही के सम्बन्ध में सुधार लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये थे। दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए सीबीडीटी द्वारा दिनांक 5 जुलाई, 2013 को निर्देश नं० 3 व 4 जारी कर विभागीय अधिकारियों को मुख्य रुप से निर्देश जारी किये है।

6. रिटर्न की इंटीमेशन के सम्बन्ध में निर्देश

Instruction No. 4/2013 dated 5-07-2013 में आयकर अधिनियम की धारा 143(1) के तहत इंटीमेशन को करदाता तक पहुंचाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। यह दिशा-निर्देश भी माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त वर्णित आदेश के सम्बन्ध में जारी किये गये हैं।

(उपर्युक्त की विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें) **(साभार : टै.प. अगस्त 2013)**

बिजली बिल में गड़बड़ी रोकने को निजी एजेंसी करेगी काम

अब दुरुस्त मिलेंगे बिल होगी क्रॉस चेकिंग

उम्मीद है कि अब पटना के लोगों को एकदम दुरुस्त बिजली बिल मिलेंगे। इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। घर या दुकान, फैक्ट्री में जितनी बिजली की खपत हुई होगी उतने का ही बिल होगा।

लोगों तक बिजली बिल दुरुस्त पहुंचे इसके लिए बिजली कंपनी की ओर से खास व्यवस्था की जा रही है। यह व्यवस्था क्रॉस चेकिंग की है। एक निजी एजेंसी द्वारा पटना के उपभोक्ताओं का मिलने वाले बिल की क्रास चेकिंग करायी जाएगी। निजी एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इस महीने के आखिर तक निजी एजेंसी बहाल कर ली जाएगी।

घर पर बिल भुगतान की सुविधा अभी नहीं : घर या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ही बिजली बिल भुगतान की सुविधा मिलने में अभी देर होगी। कंपनी सूत्रों के अनुसार साफ्टवेयर में कुछ परेशानी होने के कारण तत्काल इस सेवा को शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा है। **(साभार: हिन्दुस्तान, 18.8.2013)**

विद्युत भवन में केन्द्रीय ग्राहक सुविधा केन्द्र

ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने 19.8.2013 को विद्युत भवन में केन्द्रीय ग्राहक सुविधा केन्द्र, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट और मोबाइल कैश वान का शुभारंभ किया।

केन्द्रीय ग्राहक सुविधा केन्द्र विद्युत भवन के पिछले भाग में है। यहां पेसू के दसों आपूर्ति प्रमंडलों प्रमडलों के लिए अलग-अलग सेल रहेगा। निचले तल पर वृद्ध व विकलांग के लिए काउंटर रहेगा। राजधानी में ऐसे 100 काउंटर खुलने वाले हैं। यहां उपभोक्ता बिजली बिल जमा कर सकते हैं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 20.8.2013)**

भागलुपर में मेगा फूड पार्क पर लगा ग्रहण

कोलकाता की केवेंटर्स समूह ने बिहार के भागलपुर में मेगा फूड पार्क परियोजना से हाथ खींचने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के सूत्रों के मुताबिक जमीन की कमी की वजह से कंपनी ने यह फैसला लिया है। राज्य सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने इस बारे में राज्य सरकार को सूचित कर दिया है।

बिहार में निवेश को लगा झटका • कोलकाता की केवेंटर्स समूह ने इस परियोजना ने खींचे अपने हाथ • परियोजान के लिए चिह्नित की गई थी करीब 125 एकड़ भूमि • किसान जमीन के लिए मांग रहे थे बाजार भाव, कंपनी नहीं हुई राजी • 130 करोड़ रु की लागत से मक्का प्रसंरकरण केंद्र खोलने की थी योजना

(साभार: बिजनेस स्टैंडर्ड, 14.8.2013)

New sand policy to up govt revenue

Bihar government has formulated a new sand policy to check illegal mining and ensure maximum revenue. The new policy is likely to be cleared by the state cabinet soon

Bihar's mines and geology department has issued specific guidelines about getting environment clearance, e-tendering, mining plan and online monitoring system. "We have done our homework. We are ready to introduce the new policy," Said principal secretary, Mines and geology, B Pradhan.

(Delails : T. O. I , 17.8.2013)

दुकानों के सामने डस्टबिन रखवाए निगम : हाईकोर्ट

पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि राजधानी में सबसे ज्यादा गंदगी मुख्य सड़कों पर होती है। इसकी वजह खोमचे ठेले और पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदार हैं। पटना नगर निगम सुनिश्चित करे कि वे सभी डस्टबिन रखें और कूड़ा उसी में डालें। निगम डस्टविन से कूड़ा निकलवा कर दूसरी जगह जगह फेंकवाए। न्यायालय ने आम लोगों से भी कहा कि वे नाले, पिटहोल, जल निकासी के मार्गों पर कूड़ा न फेंकें। इससे पानी अवरूद्ध होता है और सड़कों पर फैलता है। **(साभार: राष्ट्रीय सहारा, 20.8.2013)**

Strict norms to restrict road height in capital

NEW GUIDELINES *Upper layers of road have to be excavated first in case of repair, reconstruction*

Waterlogging due to rising level of roads may no longer pose any trouble for urban residents. They would not require raising the plinth level of their house in view of the ever rising height of roads in and around their localities due to repair or reconstruction.

Keeping in mind the problems of waterlogging in low-lying areas at the slightest of rains due to increased level of roads, the urban development department has directed municipal bodies to bring about technical modification in repair or reconstruction of roads so as their heights are not raised.

The instruction followed a high-level deliberation in the light of a Patna high court order, by which urban development, road construction and rural works departments were told to adopt cold or hot recycle methods to do away with height concerns of roads. It was felt that shops and houses, which were built a few years ago, usually get inundated with rain water, as they fail to find their way out due to road heights. ***(Details : H.T. 13.8.2013)***

पांच बैंकों में जमा होगा आनलाइन पेशाकर

वाणिज्य कर विभाग ने लोगों को राहत देने के लिए पेशाकर को भी ऑन लाइन जमा करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। फिलहाल वाणिज्य कर विभाग ने पांच बैंकों से टाइ अप कर लोगों को सुविधा देना शुरू कर दिया है। विभाग ने जिन पांच बैंकों से टाइ अप किया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आई डीबीआई एवं केनरा बैंक शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अन्य बैंकों से भी लोगों को सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।

प्रोफेशनल टैक्स स्लैब

राशि	प्रोफेशनल टैक्स
3 लाख	00
3 से 5 लाख तक	1000 रुपये
5 से 10 लाख तक	2000 रुपये
10 से ऊपर	2500 रुपये

मैनुअल भी होगा जमा

सरकार ने पेशाकर जमा करने के लिए हेड निर्गत कर दिया है। लोग आर 0028001070003 के हेड पर टैक्स जमा कर सकते हैं। यह टैक्स ट्रेजरी चालान से बैंक में जमा होगा।

रिटर्न व एसेसमेंट की प्रक्रिया खत्म

राज्य सरकार ने पेशाकर की रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था खत्म कर दी है। साथ ही एसेसमेंट की प्रक्रिया भी खत्म कर दी हैं। सरकार ने यह व्यवस्था केवल व्यक्तिगत पेशाकर जमा करने वालों के लिए की है। सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में काम करने वालों के लिए नहीं। **(साभार : हिन्दुस्तान, 14.8.2013)**

नगर आयुक्त ने बिल्डरों से कहा

देनी होगी पूरी जानकारी नहीं तो निर्माण पर रोक

सिर्फ लुभावने विज्ञापन नहीं, नियमों का करना होगा पालन

निर्माण स्थल पर लगाना होगा 08 गुना 16 फीट का सूचना पट्ट

सूचना पट्ट पर देना होगी ये जानकारियां : • भवन निर्माण/जमीन का विवरण • नगर आयुक्त के न्यायालय और अन्य न्यायालय में चल रहे वाद का पूर्ण विवरण • फ्लैट खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को भवन निर्माण संबंधी विशेष विवरण दिया जाएगा • कार्य निमाण होने की तिथि और पूर्ण होने की संभावित तिथि • नक्शा का पूर्ण विवरण और स्केच मैप

बिल्डरों को निर्माण स्थल पर रखने होंगे ये दस्तावेज

• सात वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता से प्रमाणित कराकर भूखंड पर मालिकाना हक की प्रकृति का पूर्ण और सही ब्योरा • भूखंड पर कोई विवाद हो तो उसका पूर्ण व सही ब्योरा • निर्माणाधीन या निर्मित किए जाने वाले को भूकंप और आग से सुरक्षा का प्रबंध है या नहीं • खरीदारों की पहचान की पूर्ण जानकारी पते के साथ • निर्माण कंपनी/एजेंसी का निबंधन प्रमाण-पत्र • निर्माण में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का पूर्ण ब्योरा

होर्डिंग या समाचार पत्र में प्रचार के लिए ऐसे देना होगा विज्ञापन

• बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम-2006 की धारा सात (दो) (एम) में अंकित सभी विवरणों को अंकित करना होगा • कारपेट एरिया का विस्तार जिसमें बालकॉनी का क्षेत्र अलग से दिखाया जाएगा • अपार्टमेंट की कॉमन सुविधाओं की कीमत अलग-अलग • खरीदारों से ली जाने वाली राशि और अंतराल, जिसके बाद किस्तों का भुगतान करना है • फ्लैट की कुल कीमत • कॉमन सुविधाओं की प्रकृति, विस्तार व विवरण • नियम के मुताबिक अग्नि सुरक्षा और भूकंप रोधी प्रावधान

(साभार : हिन्दुस्तान, 18.8.2013)

सूबे की पहली मल्टी लेवल पार्किंग तैयार

तिमंजिली पार्किंग में लगेंगे तीन सौ वाहन

राज्य की पहली मल्टी लेवल पार्किंग बुद्ध स्मृति पार्क के पीछे बन कर तैयार हो गयी है। अब इसके उद्घाटन का इंतजार है। यहां पार्किंग की सुविधा शुरू हो जाने के बाद न सिर्फ लोगों को जाम से निजात मिलेगी, बल्कि अपनी गाड़ी को पार्क कर आराम से मोर्यालोक, हरनिवास कॉम्प्लेक्स, डाकबंगला, फ्रेजर रोड, चांदनी मार्केट, बुद्धा स्मृति पार्क, जंकशन महावीर मंदिर घूम फिर सकते हैं। गाडी पार्क करने में कोई समस्या नहीं होगी।

24 घंटे मिलेगी सुविधा : इस पार्किंग में 24 घंटे गाड़ी पार्क करने की सुविधा मिलेगी। आसानी से यहाँ फोर व्हीलर लगा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर सहित तीन फ्लोर की इस पार्किंग में एक साथ तीन सौ से अधिक वाहनों को पार्क कर सकते हैं। हर फ्लोर पर करीब 125 गड़ियों की पार्किंग करने की व्यवस्था की गयी है। यहां गाड़ी लगाने के लिए मंथली पैकेज की भी सुविधा दी जायेगी। चारों फ्लोर में चेकर टाइल्स लगाया गया है, जो 25 साल तक चलेगा।

क्या होगा खास : • 24 घंटे पार्किंग की व्यवस्था • दो लिफ्टों की सुविधा • हर फ्लोर पर बाथरूम • हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा • हिसप्ले बोर्ड पर दिखेगा पार्किंग में लगी गाड़ियों का स्टेटस • तीन गेटों पर चेकपोस्ट • प्रदेश व निकास के लिए अलग-अलग गेट • मंथली पास की भी सुविधा • पटना जीपीओ से सीधे स्टेशन की ओर जानेवाली सड़क से होगा प्रवेश व निकास

"सितंबर के अंतिम सप्ताह से मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। अभी पार्किंग शुल्क तय नहीं किया गया है। एजेंसी का चयन हो जाने के बाद पार्किंग शुल्क तय किया जायेगा।" **– अनुपम कुमार सुमन, एमडी, बुडको**

(साभार : प्रभात खबर 19.8.2013)

दीघा व मुंगेर रेल पुल से रेलवे ने खींचे हाथ

पटना व मुंगेर का रेल सह सड़क महासेतु हो या बिहार में रेलवे की चल रही अन्य परियोजनाएं, सभी खटाई में पड़ सकती हैं। बिहार की रेल परियोजनाओं को पूरा करने में रेलवे ने अपनी असमर्थता जतायी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिख कर कहा है कि रेल मंत्रालय बिहार की रेल परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थ है। निर्माण कार्य की जितनी परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें राशि देने में रेलवे असमर्थ है। पत्र मिलने के बाद बिहार सरकार ने कुछ परियोनाओं को हर हाल में पूरा करने की नीति पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि योजना आयोग ने रेलवे को हर हाल में 2961 करोड़ की लागतवाले दीघा रेल सह सड़क पुल मार्च 2015 में तैयार कर लेने का निर्देश दे रखा है। समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार को 380 करोड़ रूपये जुटाने होंगे।

तथ्य	पटना रेल पुल	मुंगेर रेल पुल
स्वीकृति	1997-98	2002-03
स्वीकृति के समय लागत	1500 करोड़	921 करोड़
संशोधित लागत	2921 करोड़	2363 करोड़
रेलवे को खर्च	1681 करोड़	1247 करोड़
राज्य का खर्च करना है	1240 करोड़	1116 करोड़
पुल की लंबाई	4.925 कि.मी.	3.91 किमी
स्टेशन उत्तर में	पहलेजा	साहेबपुर कमाल
स्टेशन दक्षिण में	फुलवारी व दानापुर	जमालपुर
सड़क उत्तर में	एनएच-19	एनएच-31
सड़क दक्षिण में	एनएच-98	एनएच-80
पुल निर्माण का लक्ष्य	मार्च, 2015	दिसंबर, 2014

(साभार : प्रभात खबर 17.8.2013)

पटना से नई इंटरसिटी ट्रेन

ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने पटना से भभुआ रोड के बीच नई इंटरसिटी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन नंबर 13250 भभूआ रोड-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस 17 अगस्त को भभूआ से खुलेगी। साथ ही 13243 पटना-डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी ट्रेन अब भभुआ तक जाएगी। दोनों ट्रेन 18 अगस्त से नियमित रूप से चलने लगेगी।

(साभार : आइनेक्स्ट, 17.8.2013)

अब ऑनलाइन करें पुलिस में शिकायत

पटना पुलिस की वेबसाइट पर अब नयी व्यवस्था शुरू हो रही है। इस पर अलग से बॉक्स बनाया गया है, जिसमें आप किसी भी समय, कहीं से अपने इ-मेल आइडी के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके माध्यम से पीड़ित जब चाहे पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी ले सकता है। भूमि विवाद के मामले आने के बाद तुरंत उसे डीएम कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जायेगा। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि.दो दिनों के बाद इस व्यवस्था को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जायेगा। **(साभार: प्रभात खबर, 14.8.2013)**

ATTENTION EMPLOYERS

Employers/Authorised Signatories of the establishments covered under the EPF & MP Act, 1952 are hereby informed that EPFO is on fast track of consolidating e-services to its stakeholders. In order to simplify the processing of Transfer Claims, the employers are now required to upload the digital signatures of their authorized signatories through EPFO's webslte www. epfindia.gov.in Detailed instructions in this regard are avallable at Employer portal of website under the link "Online Transfer Claim Portal (Registration of Digital Signature)" A hard copy of the same should also be forwarded by name to the Nodal Officer shri P. C. Neogi, Accounts Officer, Regional office, Patna, Shri Prashant Kumar, Programmer may also be contacted over phone No. 0612-2506276 for any query / clarification.

Employers/Authorized signatories may kindly ensure that this process is completed at their end latest by 23/08/2013.

Sd/- (Dr. A. K. Singh)
Reglonal Provident Fund Commissioner
Bihar, Patna

(Source : T. O. I ,21.8.2013)

बिहारवासियों पर भारी पड़ रही है बैंकों की बेरूखी

बैंकों की बेरुखी बिहारवासियों पर भारी पड़ रही है। राज्य के बैंकों में यहां के लोगों ने 161858 करोड़ रुपये जमा कर रखे हैं। इसकी तुलना में बैंकों ने अब तक मात्र 61857 करोड़ रुपये कर्ज दिए। मतलब बिहार की बैंक शाखाओं में जमा 100001 करोड़ रुपये का राज्य के विकास में कोई उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि बैंकों में जमा राज्य के लोगों की गाढ़ी कमाई का अधिकतर हिस्सा दूसरे प्रदेशों की समृद्धि बढ़ा रहा है। सबसे खराब स्थिति पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा और सीवान की है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बैंकों ने 61999 करोड़ रुपये कर्ज देने की योजना बनाई है। पहली तिमाही के समाप्त होने तक 10770 करोड़ रुपये ही कर्ज दिए गए।

आंकडों में साख-जमा अनुपात

अवधि	जमा (करोड़)	कर्ज (करोड़)
2005-06	46134	14808
2006-07	56342	19048
2007-08	68244	22077
2008-09	83048	24051
2009-10	98588	31679
2010-11	113909	38723
2011-12	138163	50704
2012-13	161035	62293
2013-14 (जून)	161858	61857

अधिक राशि जमा करने वाले जिले

जिला	जमा (करोड़)	कर्ज (करोड़)
पटना	52808	16811
मुजफ्फरपुर	7883	3344
गया	6176	2038
छपरा	5269	1276
सीवान	4923	1109

अधिक कर्ज हासिल करने वाले जिले

जिला	जमा (करोड़)	कर्ज (करोड़)	प्रतिशत
किशनगंज	1020	580	56.83
पूर्णिया	2676	1490	55.62
कैमूर	1774	946	53.32
प.चंपारण	2750	1316	47.86
बेगूसराय	3850	1806	46.91

(साभार: प्रभात खबर, 22.8.2013)

नहीं रोकी जा सकती पेंशन और ग्रेच्युटी

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पेंशन और ग्रेच्युटी कर्मचारी अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित करता है वह उसकी संपत्ति है। सरकार अनुशानत्मक या आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने पर प्रशासनिक आदेश के आधार पर कर्मचारी की पेंशन या ग्रेच्युटी नहीं रोक सकती। **(विस्तृत समाचार : दैनिक जागरण, 21.8.2013)**

बिहार को विशेष दर्जे का प्रस्ताव विचाराधीन

केन्द्रीय योजना मंत्री राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार के प्रस्ताव पर विचार के लिए सितंबर 2011 में अंतर मंत्रालीय समूह बनाया गया था। इस समूह ने मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। बिहार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 23.8.2013)

दें जानकारी, पाएं बिजली बिल में छूट

उपभोक्ता अपने स्थानीय सहायक बिजली अभियंता के'आफिस में अपने बारे में सारी जानकारी 30.09.2013 तक जमा करा दें। दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नो योर कंज्यूमर स्कीम के तहत उपभोक्ता अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, कंज्यूमर आईडी आदि की पूरी जानकारी एक आवेदन के साथ पेसू के स्थानीय आफिस में जमा कराएंगे।

इसके बाद उन्हें बिजली कंपनी की ओर से उन्हें लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। सबसे बड़ी सुविधा तो इन्हें बिजली बिल में तीस रुपए तक की छूट की मिलेगी। साथ ही उनके बिल के बारे में जानकारी मिलेगी। बिजली कंपनी की नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती रहेगी। **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान, 22.8.2013)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

सभी अनिबंधित व्यवसायी ध्यान दें:-

बिहार राज्य के समस्त अनिर्बंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि राज्य के विकास कार्यों की महत्ता को देखते हुए आपका परम कर्तव्य बनता है कि वैट के अन्तर्गत निबंधित होकर नियत कर का भुगतान करें। यदि आप करदेय माल की बिक्री करते हैं तथा निम्नांकित शर्तों में से किसी एक को भी पूरा करते हैं तो आपको वैट के अन्तर्गत निबंधन लेना अनिवार्य है-

- यदि आप राज्य के बाहर से माल खरीद कर बेचते हों अथवा विनिर्माता हों।
- यदि आपका सलाना बिक्री 5 लाख रुपये से अधिक का हो।

इसके अतिरिक्त अगर आप निम्न शर्तों में से कोई एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करते हैं तो आप निबंधन के लिये उत्तरदायी प्रतीत होते हैं-

- यदि आप आय-कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आय-कर विवरणी दाखिल कर रहे हों।
- यदि बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत निर्बंधित हों।
- यदि आप किसी अधिनियम के अन्तर्गत निगम अथवा भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में व्यवसाय कर रहे हों।
- यदि आप अपने व्यवसाय स्थल पर दूरभाष /मोबाईल फोन का प्रयोग कर रहे हों ।
- यदि आपके द्वारा कारोबार से प्राप्ति एवं भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो।
- यदि आपका व्यवसाय स्थल शहर के महत्वपूर्ण एवं सघन व्यावसायिक क्षेत्रों में हों।

ध्यान रहे कि यदि उपरोक्त शर्तों में किसी एक को भी पूरा करते हों एवं आपकी करदेयता बनती है तो आप 15 दिनों के अन्दर वाणिज्य-कर विभाग में वैट-निबंधन करा लें।

उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने के बावजूद अनिर्बंधित होकर, व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को विरूद्ध राज्य के राजस्व हित में विभाग द्वारा अभियान चला कर कठोर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 22.8.2013)

ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं आर.टी.आई.

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। कार्मिक मंत्रालय ने 21.08.2013 को इस बहुप्रतीक्षित सेवा की शुरूआत की। कार्मिक राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने यह सेवा शुरू करते हुए कहा कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम समय में सूचना हासिल करने का अवसर मिलेगा। इस सेवा के तहत आवेदक को rtionline.gov.in पर जाना होगा।

(साभार: हिन्दुस्तान 22.8.2013)

चौथी बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो लाइसेंस रद्द

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर दो से तीन बार जुर्माना और फिर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को पटना पुलिस आने वाले दिनों में कुछ इसी तर्ज पर सख्ती करने पर विचार कर रही है।

पटना के जोनल आईजी सुशील एम खोपड़े ने भविष्य की इन योजनाओं पर चल रही तैयारी का खुलासा किया।

• ट्रेफिक नियम तोड़ने वालों से सख्ती से निपटने की तैयारी • वाहनों का बनेगा डाटा बेस, 100 स्थानों पर लगेंगे सीसीटीवी • सड़क निर्माण से जुड़ी जानकारी पुलिस को भी देनी होगी

समस्या : • राजधानी की बड़ी आबादी को देखते हुए पार्किंग की कमी • हादसे के बाद घायलों की मदद नहीं करते लोग • पुलिस के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं • ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं, पुलिसकर्मियों की कमी

समाधान : • अगले एक महीने में 50 और स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था • पुलिस प्रचार करे कि घायलों की मदद करने पर तंग नहीं करेगी • पुलिस को वित्तीय अधिकार मिले ताकि वह हादसे से निपट सके • बेंगलुरू की तर्ज पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम विकसित हो **(विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 22.8.2013)**

पटना पुलिस की अपील — सतर्क रहें, सुरक्षित रहें

आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए पटना पुलिस ने शहर के लोगों के नाम अपील जारी किया है। पुलिस का कहना है कि नागरिकों को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। पुलिस ने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। **सुझाव :** • घर में मुख्य द्वारा पर बल्ब लगाएं, ताकि पुकारने वालों की पहचान हो सके • दरवाजे में मैजिक आइ लगाएं और दखाजा खोलने से पहले सामने वाले का पूरा परिचय लें, चाहे वो पुलिस पदाधिकारी हो या कोई और संदेह होने पर कुछ देर बातों में उलझाए रखें और इस बीच डायल 100 पर सूचना दें • मकान में किराएदार लगाने का इश्तेहार दुकान अथवा सार्वजनिक स्थानों पर न चिपकाएं • मकान बेचना हो या किराएदार रखना हो तो दलालों व मोहल्ले के आसपास के लोगों को घर के अंदर न ले जाएं • घर बेचने या किराएदार लगाने के लिए प्रमाणित एजेंसी का सहारा लें • घर के बगीचे, लान आदि में बड़े पड़े न लगाएं, ताकि कोई छिप न सके • बाहर रखे किसी चीज में घर की चाबी न छिपाएं और नौकर, दरवान आदि को घर की चाबी न दें • चाबी खो जाने पर ताला बदला डालें • जरूरत न हो तो मेन गेट खुला मत रखें।

समस्या हो तो संपर्क करें : • सीनियर एसपी: 9431822967 • सिटी एसपी : 9431822969 • ग्रामीण एसपी : 9431822968 • टाउन डीएसपी: 9431818400 • सदर डीएसपी : 9431800119 • पटना सिटी डीएसपी : 9431800118 • फुलवारीशरीफ डीएसपी : 9470001381 • दानापुर डीएसपी : 9431800115 • मसौढ़ी डीएसपी : 9431800116 • फतुहा डीएसपी : 9470001382 • बाढ़ डीएसपी : 9431800117 • पालीगंज डीएसपी : 9431800114 **(साभार : दैनिक जागरण, 22.8.2013)**

इ-म्युनिसिपलिटी योजना पर काम शुरू

अक्तूबर से घर बैठे मिलेंगी 18 सेवाएं

इ-म्युनिसिपलिटी योजना के तहत सभी नगर निकायों को ऑनलाइन किया जायेगा उनकी अपनी वेबसाइट होगी, जिससे लोगों को ऑनलाइन नागारिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। लोग घर बैठे अपने निकाय में चल रहे जनहित के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

क्या मिलेगी सुविधा : जन्म-मृत्यु निबंधन, शहरी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, संपत्ति कर का निर्धारण, जलापूर्ति व सीवरेज के लिए आवेदन, भवन योजना की स्वीकृति, कार्य प्रबंधन प्रणाली, निबंधन व अनुज्ञप्ति, सफाई की शिकायत, एकाउंटिग मॉडयूल, स्वास्थ्य व सफाई, कर लीज व सैरात, विज्ञापन व होर्डिंग, जनशिकायत, भूमि व एसेट प्रबंधन कार्य की गति, स्लम सूचना आदि।

क्या होगा लाभ : • नागरिकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सेवाएं उपलब्ध होंगी • समेकित व व्यक्तिगत सेवाएं कहीं भी किसी समय मिलेंगी • विकेद्रीकृत सेवाएं उपलब्ध हो पायेंगी • शहरी स्थानीय निकायों की कार्यक्षमता व उत्पादकता में वृद्धि होगी • समेकित डाटा व विभिन्न विभागों की सेवाएं प्राप्त होंगी • सही समय पर तथ्यात्मक सूचना एवं निकाय प्रशासन के निर्णय की जानकारी उपलब्ध होगी। **Website : www.patnanagarnigam.in**

"योजना के क्रियान्वयन के लिए काम शुरू हो गया है। अक्तूबर से ऑनलाइन सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। नगर आयुक्त खुद इसकी हर दिन मॉनीटरिंग कर रहे हैं। **– शैलेश चंद्र दिवाकर,** इ-गवर्नेस नोडल अधिकारी

(साभार : प्रभात खबर, 23.8.2013)

Details of the following contents are available in the chamber

FINANCE

- *CUSTOMS NOTIFCATION NO. 81/2013 N. T. DATED 1ST AUGUST 2013 REGARDING RATE OF EXCHANGE ON IMPORT AND EXPORTS GOODS WITH EFFECT FROM 2ND AUGUST 2013*
- *CUSTOMS CIRCULAR NO. 30/2013 DATED 5TH AUGUST 2013 REGARDING PROVISIONAL RELEASE OF EXPORT - GOODS DETAINED FOR INVESTIGATION*
- *CENTRAL EXCISE NOTIFICATION NO. 10/2013 N. T. DATED 2ND AUGUST 2013 REGARDING LEVY OF DUTY OF EXCISE ON GOODS MANUFACTURED BY A UNIT, AFFISING THE BRAND NAME OR TRADE NAME*
- *SERVICE TAX CIRCULAR NO.17/2013 DATED 8TH AUGUST 2013 REGARDING TAX VOLUNTARY COMPLIANCE ENCOURAGEMENT SCHEME - CLARIFICATION*

RBI

- *RBI CIRCULAR NO. 129, DATED 9TH JULY 2013 REGARDING DIRECT BENEFIT TRANSFER SCHEME*

(Source : ASSOCHAM N&V. 436 August 03.09. 2013)

निम्नांकित के विस्तृत जानकारी हेतु चैम्बर से संम्पर्क करें

बुढ़ापे के लिए जरूरी बचत - कई विकल्प हैं इसके लिए

- रिटायरमेंट या पेंशन प्लान बेहतर विकल्प : जिसमें वार्षिक अनुमानित व्यय के साथ-साथ मँहगाई दर का भी समायोजन करें।
- एंडाउनमेंट या बन्दोबस्ती प्लान में जोखिम नहीं क्योंकि यह बीमा सहित निवेश योजना है।
- जिम्मेदारी व प्राथमिकता समझना जरूरी ताकि योजनानुसार निवेश किया जा सके।
- पीपीएफ, एफडी व इक्विटी का भी है विकल्प
- असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले दें खास ध्यान क्योंकि देश में 78 फीसदी जनसंख्या इसी क्षेत्र से आती हैं जिनके पास कोइ प्रोविडेंट फण्ड सुरक्षा नहीं होती

बिजनेस या प्रोफेशन से आय पर कर

- यह किन करदाताओं पर लागू होगा एवं यह किन पर लागू नहीं होगा यह जानकारी अत्यन्त आवश्यक है।
- आई टी आर -4 भरनी अनिवार्य है।
- सेवानिवृत्ति के लिए असीमित टैक्स छूटों का है प्रावधान जिसकी जानकारी प्रारंभ में ही कर लें ।
- आई टी आर -4 एस (सुगम) वैसे कर दाताओं के लिये है जिन्होंने आयकर

की धारा 44 ए डी और 44 ई के तहत कर आदायगी के विकल्प को चुना है।

- आप सुगम फार्म भरेंगे अगर आप की आय कई स्रोतों से है।
- उनके लिए नहीं है यह फार्म जिनकी संपत्ति देश से बाहर हो।
- ध्यान दें आपको रिटर्न के साथ कोई संलग्नक नहीं लगाना है तथा फार्म पर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है तो आई टी आर (बी) भेजना न भूलें।

साभार :- साप्ताहिक व्यापार सामाचार, 21 जुलाई 2013

आयकर रिटर्न भरने में महत्वपूर्ण सावधानियाँ

• बैंक स्टेटमेंट • फार्म 16 या 16 ए • टैक्स चालान या रसीद • फार्म 26 एएस • बीमा व पीपीएफ रसीद • विभिन्न करदाताओं के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख • आयकर रिटर्न नहीं भरा तो.... • टीडीएस कटा, तब भी भरें रिटर्न • रिटर्न भरने में ध्यान रहे • जायदाद की बिक्री से प्राप्त रकम पर कर बचत – कैसे?

(साभार: साप्ताहिक व्यापार समाचार, 28 जुलाई 2013)

धारा 194I.A के तहत प्रापर्टी पर TDS बेचने वाला काटेगा

- इनकम टैक्स की धारा 194 आइ ए के तहत रीयल एस्टेट कारोबार का लेखाजोखा रखने के मकसद से वित मंत्रालय ने 50 लाख रूपये से ज्यादा की प्रोपर्टी की खरीद- बिक्री पर एक फिसदी टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया था।
- कौन काटेगा टीडीएस
- कैसे काटे टीडीएस
- कब तक जमा होगी राशि
- सभी तरह की प्रॉपर्टियों पर टीडीएस काटना जरूरी
- समय पर जरूर जमा कराएं टीडीएस

आईटीआर-2 या 'सहज' कौन है सही

- 'सहज' किसके लिए
- 'सहज' किसके लिए नहीं
- आई टी आर -2 किसके लिए
- ITR-2 किसके लिए नहीं,,

छिपी आय पर लगेगाा 30 फीसदी टैक्स

- 1 अप्रैल से लागू
- पहले क्या था
- किसी भी धारा में छूट नहीं
- अब नहीं मिलेगी दो लाख रूपये तक की बेसिक छूट

सेवाकर मुख्यालय देगा करदाताओं को छूट

- यह होगी प्रक्रिया •मिलेगी छूट • ये होंगे अपवाद

(साभार : साप्ताहिक व्यापार समाचार, 14 जुलाई 2013)

चैम्बर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द खेतान का निधन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री हर गोविन्द खेतान का निधन दिनांक 30 अगस्त 2013 को दिल्ली में हो गया। उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में हुआ।

अपने शोक संदेश में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि स्व. खेतान एक सफल उद्यमी के साथ-साथ काफी मिलनसार, स्पष्टवादी, दृढ़प्रतिज्ञ और निष्ठावान व्यक्ति थे। उनके निधन से व्यवसाय जगत को जो क्षति हुई है, उसकी भरपायी निकट भविष्य में सम्भव नहीं है।

स्व. खेतान काफी लम्बे समय से चैम्बर से जुड़े थे और अपने निधन तक चैम्बर से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। उन्होंने वर्ष 1974-75 तथा 1978-79 में चैम्बर के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। इसके पूर्व वर्ष 1970-71 में चैम्बर के महामंत्री के पद पर रहे। अपने कार्यकाल को उन्होंने पूरी जवाबदेही से निभाया। स्व. खेतान चैम्बर के अतिरिक्त कई अन्य संस्थानों से भी जुड़े थे। पटना, गुड़गाँव एवं अन्य कई शहरों में उनका कारोबार था। उनके निधन पर चैम्बर ने एक शोक प्रस्ताव उनके परिजनों को भेजा है।

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले परिवहनकर्ताओं एवं वाहन चालकों को यह सूचित किया जाता है कि आउट-टु-आउट 'सुविधा' (Transit Pass) जनित करने के लिए वे विभागीय वेबसाईट **www.ctdbihar.gov.in** पर Log-in करने के उपरांत D-VII Out-to-Out Icon को Select करें। Select करने के उपरांत Screen पर आने वाले कॉलमों में वांछित सूचनाओं की सही प्रविष्टि करने के बाद इसे Submit करें। इसे Submit करते ही 16 अंकों की सुविधा संख्या जनित होगी, जो उनका Transit Pass होगा। इसे जनित करने के उपरांत ही वे राज्य से स्वयं चुने गये विनिर्दिष्ट Entry एवं Exit Point संचयनित मार्ग से होकर गुजरें।

पदाधिकारियों को भी यह निदेश दिया जाता है कि सुविधा के Approval के लिए वे विभागीय वेबसाईट www.ctdbihar.gov.in पर अपने-अपने यूजर आई०डी० से Log-in कर Approve/Disapprove/Detain करें।

इस सम्बन्ध में किसी तरह की कठिनाई होने पर www.ctdbihar.gov.in पर दिए गए User Manual की सहायता ले एवं Helpdesk में अंकित मोबाईल नम्बर– 09801760184, 9304352345, 9771499736 तथा टॉल फ्री नम्बर– 18003456102 एवं दूरभाष सं०- 0612-2233512/3/4/5/6 या ई-मेल commtaxbihar@gmail.com के माध्यम से सम्पर्क करें।

वाणिज्य-कर-आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

(साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया, 28.8.2013)

पानी सप्लाई में परेशानी है तो यहां करें शिकायत

सप्लाई पानी का प्रेशर कम हो या गंदा पानी आ रहा हो। पाइप में लीकेज हो या फिर सप्लाई बंद हो। जलापूर्ति से जुड़ी किसी प्रकार की शिकायत के लिए हेल्प नंबर के अलावा चारों अंचल क्षेत्र के अभियंताओं का मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है।

अंचल का नाम	अभियंता का नाम एवं नम्बर	अंचल का नाम	जल पथ निरीक्षक का नाम एवं नं०
नूतन राजधानी अंचल	विकास कुमार (9334155551)	नूतन राजधानी अंचल	विनोद कु. तिवारी (9097517098)
बांकीपुर अंचल	चन्द्रशेखर कुमार (9304508246)	बांकीपुर अंचल	सूर्यविजय सिंह (9905426295)
पटना सिटी अंचल	विनोद कु. तिवारी (9097517098)	पटना सिटी अंचल	कामेश्वर कुमार (9334211393)
कंकड़बाग अंचल	मनोज कु. चौधरी (9771686223	कंकड़बाग अंचल	योगेन्द्र सिंह (9135619877)

मुख्यालय का हेल्पलाइन नं० : 0612-3223402

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.8.2013)

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. 0612-3200646, 2677605, 2677635 •Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296